सरकार	आवेदन शुल्क	सूचना प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त शुल्क (बी.पी.एल. आवेदकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिया जाएगा)					रिकार्ड निरीक्षण	भुगतान
केन्द्र सरकार	रु 10/–	ए–4 या ए–3 के कागज़ के लिए रु 2/– प्रति पेज	बड़े आकार के कागज़ के लिए वास्तविक मूल्य	मुद्रित रिपोर्ट के लिए नियत मूल्य या रु 2/– प्रति पेज	फ्लॉपी या सी.डी. के लिए रु 50/–	सैम्पल/मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य	पहला घंटा – निःशुल्क तत्पश्चात् हर घंटे के लिए रु 5/–	नगद, बैंक ड्रॉफ्ट, बैंकर्स चैक या पोस्टल ऑर्डर के रूप में
बिहार सरकार	रु 10/–	ए–4 या ए–3 के कागज़ के लिए रु 2/– प्रति पेज	बड़े आकार के कागज़ के लिए वास्तविक मूल्य	मुद्रित रिपोर्ट के लिए वास्तविक मूल्य या रु 2/– प्रति पेज	फ्लॉपी / सी.डी. के लिए रु 50/–	सैम्पल या मॉडल के लिए वास्तविक मूल्य	पहला घंटा – निःशुल्क तत्पश्चात् हर घंटे के लिए रु 5/–	नगद, बैंक ड्रॉफ्ट, पे–ऑर्डर, या नॉन ज्यूडिशियल स्टांप के रुप में

- ➔ सूचना के बताये जाने से अपराधों की तहकीकात में या अपराधियों को पकड़ने में बाधा पैदा होती है **या**
- ➔ कोई व्यक्तिगत सूचना जिसका संबंध किसी लोक हित से नहीं है।

लेकिन इन छूटों के दायरे में आने के बावजूद अगर सूचना देने में लोक हित ज़्यादा है और अन्य हितों को होने वाला नुकसान कम है तो ऐसी जानकारी दी जायेगी।

सूचना न मिलने पर क्या किया जाये?

- यदि लोक सूचना अधिकारी आपसे आवेदन पत्र लेने से इनकार करता है;
- यदि समय सीमा के अंदर सूचना नहीं मिलती है;
- यदि लोक सूचना अधिकारी नाजायज़ तरीके से अधिक शुल्क माँगता है;
- यदि लोक सूचना अधिकारी से 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता है;
- यदि लोक सूचना अधिकारी नाजायज़ तरीके से सूचना देने से इनकार करता है;
- यदि लोक सूचना अधिकारी आपका आवेदन पत्र मिलने के बाद आपके द्वारा मांगी गयी सूचना से संबंधित दस्तावेज़ नष्ट कर देता है –

तो संबंधित विभाग में अपील करें।

हर लोक सूचना अधिकारी के ऊपर एक वरिष्ठ अधिकारी को **अपीलीय अधिकारी** नामित किया गया है। इन अधिकारियों की सूची व पते के लिये वेबसाइट देखें –

केन्द्र सरकार – **http://rti.gov.in/ministrynew**
राज्य सरकार – **http://gov.bih.nic.in/Governance/DeptRTI.htm**

अपील शुल्क – रु 50/– प्रत्येक अपिल के साथ – केवल बिहार सरकार के आधीन लोक प्राधिकरणों के लिए।

अपीलीय अधिकारी अधिकतम 45 दिनों में अपीलों पर निर्णय देने के लिये बाध्य हैं।

या **सूचना आयोग में लिखित रूप से शिकायत करें।**

केंद्र सरकार के दफ़्तरों के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग को अपनी शिकायत भेजें।

केंद्रीय सूचना आयोग
ब्लॉक नं. 4, पाँचवीं मंज़िल, पुराना जे.एन्.यू. कैम्पस
नई दिल्ली – 110067
फोन/फैक्सः 011-2671 7354

राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के दफ़्तरों के बारे में शिकायत राज्य सूचना आयोग को भेजें।

बिहार राज्य सूचना आयोग
मुख्य सुचना आयुक्त
4था तल, सूचना भवन, बैली रोड, (नए सचिवालय के सामने), पटना 800 001
फोनः 0612–2235059

अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सूचना आयोग मामले की जांच के लिये संबंधित अधिकारियों को बुला सकता है व दस्तावेज़ों को मंगवा सकता है।

अगर आप प्रथम अपीलिय अधिकारी के आदेश से सन्तुष्ट नहीं हैं तो 90 दिनों के अन्दर संबंधित सूचना आयोग में दूसरा अपिल भी दायर कर सकते हैं। अपील शुल्क – रु 50/– प्रत्येक अपिल के साथ – केवल बिहार राज्य सूचना आयोग के लिए।

सूचना न देने के कारण को साबित करने की ज़िम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की है।

ऊपर बतायी गयी परिस्थितियों में जांच के ज़रिये यदि लोक सूचना अधिकारी को दोषी पाया जाता है तो वह दंड का हकदार होगा। सूचना आयोग प्रति दिन 250/– रुपये के हिसाब से अधिकतम 25,000/– रुपये तक का जुर्माना लोक सूचना अधिकारी से वसूल कर सकता है। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी लगातार इस कानून का उल्लंघन करता हो तो सूचना आयोग उसके खिलाफ़ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये संबंधित विभाग को आदेश दे सकता है।

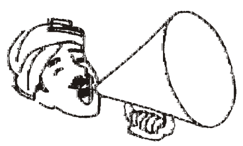

चुनौती – आपके लिये!

आज देश भर में, सैकडों नागरिक, सरकार से हिसाब माँगने लगे हैं। क्या आप इस जन अभियान से नहीं जुड़ेंगे?अपने जानने के हक का प्रयोग करें और अपने विकास की दिशा खुद तय करें।

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशियेटिव
बी–117, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली – 110017
फोन नं. : 011–26864678,26850523, फैक्स नं.: 011–26864688
ई–मेलः chriall@nda.vsnl.net.in
वेबसाइटः www.humanrightsinitiative.org

पैक्स–पी.एस.टी. – बिहार
सी–3, जुला निकेतन, हिमगिरी अपार्टमेंट के पास, आनन्दपुरी, बोरींग कैनाल रोड, पटना – 800008
फोन/फैक्स नं. : 0612–6588104,
ईमेलः pacs_pst_bihar@yahoo.co.in

(संरचना, संपादन एवं फॉर्मेटिंगः वेंकटेश नायक, सोहिनी पॉल और रंजन कुमार सिंह, मई 2007)

सूचना का अधिकार

बिहार राज्य

जीने का अधिकार

आप बनिये से हिसाब माँगते हैं...

दूधवाले से हिसाब माँगते हैं...

तो फिर

सरकार से हिसाब क्यों नहीं माँगते हैं?

सूचना लेना – हमारा मौलिक अधिकार
सूचना देने के लिये – सरकार ज़िम्मेदार

क्या आप जानना चाहते हैं?

- आपको महीने में कितना राशन मिलना चाहिए या आपके राशन की दुकान पर हर महीना कितना राशन आता है?
- आपके गाँव में पक्की सडकें क्यों नहीं हैं या आपके गाँव की सड़क की मरम्मत के लिये कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ?
- आपके घर या कस्बे में बिजली की सुविधा कब उपलब्ध होगी?
- आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस प्रकार की सुविधायें मिलनी चाहिए?
- आपके गाँव के स्कूल में शिक्षक क्यों नहीं आते हैं?
- आपके पास अगर रहने के लिए घर नहीं है तो सरकारी आवासीय योजना का कैसे लाभ उठायें?
- सरकारी वृद्धावस्था पेन्शन पाने की कानूनी प्रक्रिया क्या है?

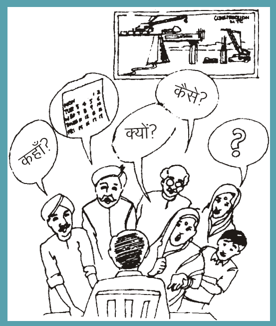

आपने कितनी बार इन सवालों के जवाब सरकारी दफ़्तरों से मांगने की कोशिश की? फिर भी बार–बार आप खाली हाथ लौट आये?

लेकिन अब परिस्थिति बदलेगी। सरकारी अधिकारियों को सही जवाब देना होगा। क्योंकि 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में सूचना का अधिकार कानून लागू हो गया है।

जो सूचना आपके विधायक या सांसद को मिल सकती है, वह सूचना आपको देने से सरकार इनकार नहीं कर सकती।

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत

- आप पंचायत से लेकर राष्ट्रपति महोदय के दफ़्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों से सूचना ले सकते हैं।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के हर दफ़्तर में सूचना देने के लिये **लोक सूचना अधिकारियों** को नामित किया गया है।
- हर **लोक सूचना अधिकारी** आपको सूचना देने के लिये बाध्य है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपके मत से सरकार चुनी जाती है। आपके द्वारा अदा किये गये टैक्स के पैसे से सरकारी कामकाज चलता है। बाज़ार से जब आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो कीमत के साथ टैक्स भी अदा करते हैं।

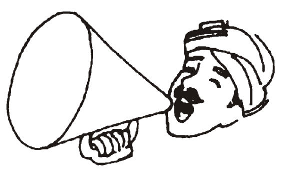

इस टैक्स के पैसे से सरकारी अधिकारियों को वेतन दिया जाता है। कल्याणकारी योजनायें चलायी जाती हैं।

तो जब सरकार आपकी और पैसा आपका तो हिसाब किसका?

अब आप –

- किसी भी सरकारी फाइल या दस्तावेज़ का निरीक्षण कर सकते हैं।
- किसी भी लोक निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं।
- किसी भी दस्तावेज़ की प्रमाणित कॉपी या उद्धरण ले सकते हैं।
- किसी भी सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपलब्ध जानकारी की प्रति ले सकते हैं।

सूचना कैसे मिलेगी?

निम्न प्रकार की सूचना सरकारी दफ़्तरों को स्वयं घोषित करनी होगी।

- दफ्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारियों के नाम, पदनाम, कर्तव्य, शक्तियाँ और वेतन।
- किसी भी विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपने कर्तव्यों के पालन के लिये स्थापित मापदंड।
- अपने कामकाज में इस्तेमाल किये जाने वाले नियम, विनियम, मार्गदर्शिका तथा आदेशों का ब्योरा।
- अपने दफ़्तर में उपलब्ध सभी दस्तावेज़ों के प्रवर्गों की सूची।
- सभी योजनाओं के लिये प्रस्तावित बजट, आवंटित धनराशि और तत्संबंधी रिपोर्ट।
- कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का तरीका, लाभार्थियों की सूची तथा आवंटित धनराशि।
- अपने द्वारा दिये गये रियायतों व परमिटों को प्राप्त करने वालों की सूची।

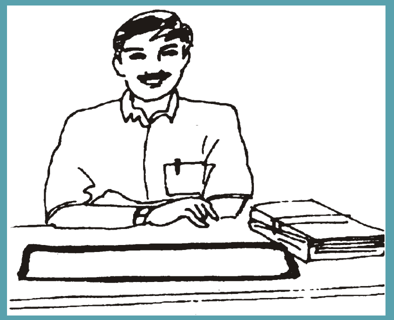

यह सारी जानकारी हर **लोक सूचना अधिकारी** के पास कंप्यूटर पर या किताब के रूप में उपलब्ध होगी। आपके द्वारा मांगे जाने पर **लोक सूचना अधिकारी** को यह सूचना तुरंत प्रिंटाउट या फोटोकॉपी के माध्यम से देनी पड़ेगी। **आवेदन पत्र या आवेदन शुल्क देने की ज़रुरत नहीं है। केवल रु 2/– प्रति पेज के हिसाब से शुल्क देना होगा।**

अन्य जानकारी लेने की प्रक्रिया

ऊपर बतायी गयी जानकारी के अलावा अन्य प्रकार की सूचनायें भी **लोक सूचना अधिकारी** से प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे – कोई भी अभिलेख, ज्ञापन, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, लॉगबुक, कॉंट्रॅक्ट, रिपोर्ट, नमूने, आंकड़े, मॉडल आदि।

- आवेदन पत्र लिखित रूप में आवेदन शुल्क के साथ संबंधित दफ़्तर के **लोक सूचना अधिकारी** के पास जमा करना होगा। आवेदन पत्र को डाक या ई–मेल के माध्यम से भी भेजा सकता है। (शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दी गयी हैं। बी.पी.एल. आवेदकों को मांगी गई जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी)
- आवेदन शुल्क के अलावा लोक सूचना अधिकारी द्वारा तय किया गया अतिरिक्त शुल्क आपको जमा करना होगा (दस्तावेजों की फोटोकॉपी या फ्लॉपी/सी.डी. के लिये शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दी गयी हैं)।

लोक सूचना अधिकारी के पास आपसे जानकारी मॉंगने का कारण पूछने का अधिकार नहीं है। कारण बताये बिना आप किसी भी प्रकार की जानकारी मॉंग सकते हैं।

- आवेदन पत्र जमा होने के 30 दिनों के अंदर लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिये बाध्य है।

अगर मांगी गयी जानकारी किसी व्यक्ति के जीवित रहने से या उसकी आज़ादी से संबंधित है तो 48 घंटों के अंदर देनी होगी।

- नीचे बताये गये प्रस्तावित प्रारूप में आप सादे कागज पर भी आवेदन पत्र लिखकर जमा कर सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रस्तावित प्रारूप
फॉर्म 'A'

I. D. No...............(For Office Use)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
....
(विभाग/कार्यालय का नाम, पता जहां से सूचना मांगी जा रही है)
....

(1) आवेदक का नाम ....
(2) पता ....
(3) चाही गई जानकारी का विवरण (संक्षिप्त में) ....
(4) मैं आपको सूचित करता हुँ कि वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कि धारा 8 या धारा 9 के तहत निर्बन्धित नहीं है और आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
(5) *(1) मैने रु.......................... (शब्दों में– रुपये..) शुल्क के रुप में रसीद क्र........... के द्वारा दिनांक .... को (कार्यालय / विभाग का नाम) में जमा कराया है।
*(2) मैने दिनांक .... को .... बैंक द्वारा .... अधिकारी के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर क्र....................... को संलग्न किया है।
*(3) मैने रु......................... के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प इस आवेदन पत्र पर चिपकाया है।
*(4) मै बी.पी.एल. परिवार का हुँ और मेरा कार्ड/प्रमाण पत्र संलग्न है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)
ईमेल पता या.......................................
दूरभाष संख्या.......................................

स्थान..
तिथि..
*किसी एक को चिह्नित करें

- इसके अलावा आप आवेदन पत्र व आवेदन शुल्क देकर संबंधित दफ़्तर में दस्तावेज़ों का निरीक्षण भी कर सकते हैं। (शुल्क की दरें पिछले पन्ने पर दिये गये हैं। बी.पी.एल. आवेदकों को मांगी गई जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी)

परंतु लोक सूचना अधिकारी सूचना देने से इनकार कर सकता है, अगर –

- मॉंगी गयी सूचना देने से देश की प्रभुता, अखंडता सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक व आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचता है **या**
- किसी अपराध करने को प्रेरित करता है **या**
- जिसके प्रकटन से न्यायालय की निंदा होती है या जिसके खुलासे पर किसी न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है **या**
- जिसके खुलासे से किसी व्यक्ति की जान को खतरा पैदा होता है **या**